न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 13.07.2024

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 59 / 2024
निर्णय दिनांक : 13.07.2024
जीसीएमएस संख्या– 2024 / 132 दायर दिनांक – 05.06.2024

देवेन्द्र कुमार झुरिया पुत्र रामेश्वर लाल झुरिया जाति जाट निवासी वार्ड नं. 21 तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

.....अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :–
1. प्रार्थी के अधिवक्ता श्री रमेश बिस्सु एडवोकेट उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 02 पेरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वार्ड नं. 21 तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर का निवासी है जिनके माता के नाम रोही ग्राम रणवा की ढ़ाणी तहसील सुजानगढ़ में खेत खाता संख्या 07 के खसरा संख्या 473 / 306 व 475 / 310 तथा रोही ग्राम राजियासर मीठा में खेत खाता संख्या 11 के खसरा संख्या 196, 501 / 185 व 503 / 241 खातेदारी में दर्ज स्थित है। प्रार्थी के माता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सायर देवी पुत्री उमाराम दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र संतोष पुत्री उमाराम दर्ज है।

प्रार्थी के माता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थी के माता की खातेदारी भूमि में प्रार्थी के माता का नाम दुरस्त करवाना प्रार्थी के लिए आवश्यक है।

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

प्रार्थी के माता को खेत रोही रणवा की ढ़ाणी व राजियासर मीठा तहसील सुजानगढ जिला चूरू में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार श्रीमान् को प्राप्त है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के माता का दस्तोवजों में नाम संतोष पुत्री उमाराम दर्ज है। सायर देवी व संतोष दोनों एक ही महिला के नाम है।अतः प्रार्थी के माता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में संतोष पुत्री उमाराम किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजात में भी प्रार्थी के माता का नाम में संतोष पुत्री उमाराम अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी राष्ट्रीय लोक अदालत में स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही ग्राम रणवा की ढ़ाणी तहसील सुजानगढ में खेत खाता संख्या 07 के खसरा संख्या 473/306 रकवा 0.5058 व 475/310 रकबा 1.6059 तथा रोही ग्राम राजियासर मीठा में खेत खाता संख्या 11 के खसरा संख्या 196 रकबा 3.3509, 501/185 रकबा 1.0116 व 503/241 रकवा 4.5269 खातेदारी में तहसील सुजानगढ में दर्ज खातेदार सायर देवी पुत्री उमाराम के स्थान पर संतोष पुत्री उमाराम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2024 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ
अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ
सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ
सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़